Gyanvividha, Vol.-3; Issue-3 (July-September) 2026 : PP-106-107

ज्ञानविविधा

कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों की अंतर्राष्ट्रीय सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित, त्रैमासिक शोध-पत्रिका

ISSN : 3048-4537(Online)
3049-2327(Print)
IIFS Impact Factor-6.125
Vol.-3; Issue-3 (July-Sept.) 2026
Page No.- 106-107
©2026 Gyanvividha
https://journal.gyanvividha.com

Author's :

डॉ. पल्लवी महतो
राजनीति विज्ञान विभाग, बीसीएस शासकीय पीजी कॉलेज, धमतरी, छत्तीसगढ़.

Corresponding Author :

डॉ. पल्लवी महतो
राजनीति विज्ञान विभाग, बीसीएस शासकीय पीजी कॉलेज, धमतरी, छत्तीसगढ़.

मतदाता पुनरीक्षण कार्य वर्तमान प्रासंगिकता एवं चुनौतियाँ

शब्द कुंजी : मतदाता पुनरीक्षण, शहरीकरण, ग्रामीण पलायन, डिजीटल तकनीकी व्यवस्था।

सारांश : मतदाता पुनरीक्षण कार्य लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक है। मतदाता सूची किसी भी चुनाव की आधारभूत व्यवस्था होती है, इसलिए इसमें ''योग्य नागरिकों का नाम शामिल करना तथा मृत, स्थानांतरित अथवा अपात्र व्यक्तियों के नामों को हटाना'' आवश्यक है। नियमित पुनरीक्षण से मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और विश्वसनीय बनाया जा सकता है।

वर्तमान समय में तेजी से हो रहे शहरीकरण, ग्रामीण–शहरी पलायन, जनसंख्या में परिवर्तन तथा युवाओं के नए मतदाता के रूप में जुड़ने'' के कारण मतदाता सूचियों में समय–समय पर परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। डिजिटल तकनीक के बढ़ते उपयोग ने मतदाता पंजीकरण, नाम में संशोधन, पता परिवर्तन तथा मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल बनाया है।

मतदाता पुनरीक्षण का महत्व केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विशेष रूप से महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, प्रवासी श्रमिकों, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों तथा प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करना लोकतांत्रिक सहभागिता को व्यापक बनाता है।

अतः वर्तमान संदर्भ में मतदाता पुनरीक्षण कार्य को ''नियमित, पारदर्शी, तकनीक–सक्षम और नागरिक–केंद्रित बनाया जाना आवश्यक है। प्रभावी पुनरीक्षण से न केवल मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित होती है, बल्कि नागरिकों के मतदान के अधिकार की रक्षा, चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनविष्वास को भी मजबूती मिलती है।

निर्वाचन नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) **:** निर्वाचन नामावली अथवा मतदाता सूची किसी निर्वाचन क्षेत्र के पात्र एवं पंजीकृत मतदाताओं की आधिकारिक सूची होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य पात्र नागरिकों को मतदान का अवसर उपलब्ध कराना तथा चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखना है। भारत में मतदाता सूचियों का निर्माण एवं पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है।

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision—SIR) मतदाता सूचियों के व्यापक सत्यापन और अद्यतन की एक विशेष प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा घर–घर जाकर मतदाताओं की जानकारी का सत्यापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से नए पात्र मतदाताओं का पंजीकरण, अपात्र अथवा मृत व्यक्तियों के नामों का विलोपन तथा आवश्यक विवरणों में संशोधन किया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन, समावेशी और विश्वसनीय बनाना है।

विशेष गहन पुनरीक्षण का संवैधानिक आधार मुख्यतः अनुच्छेद 324 में निहित है, जो निर्वाचन आयोग को चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण की व्यापक शक्ति प्रदान करता है। वहीं अनुच्छेद 326 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को आधार प्रदान करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 निर्वाचन नामावलियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण से संबंधित है।

न्यायिक दृष्टि से भी निर्वाचन आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1977) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यापक शक्तियों को स्वीकार किया। यद्यपि इन शक्तियों का प्रयोग संविधान एवं संबंधित कानूनों के अनुरूप होना आवश्यक है।

भारत में विभिन्न अवसरों पर मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण किया गया है। आपके दिए विवरण के अनुसार 1952–56, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983, 84, 1987–89, 1992, 1993, 1995, 2002, 2003 तथा 2004 में विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे पुनरीक्षण हुए। बिहार में अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 में हुआ था।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रमुख चुनौतियाँ **:** विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं विश्वसनीय बनाना है, किंतु इसके क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आती हैं –

- प्रवासन की समस्या – रोजगार, शिक्षा एवं अन्य कारणों से नागरिकों के बार–बार स्थान परिवर्तन के कारण उनके वर्तमान निवास का सत्यापन कठिन हो जाता है।
- दस्तावेजों की उपलब्धता – कुछ नागरिकों, विशेषकर गरीब, ग्रामीण, प्रवासी एवं वंचित वर्गों के पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते, जिससे पंजीकरण या सत्यापन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।
- नामों के विलोपन का जोखिम – सत्यापन प्रक्रिया में त्रुटि होने पर पात्र मतदाताओं के नाम गलती से मतदाता सूची से हटाए जाने की संभावना रहती है।
- दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कठिनाई – दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में घर–घर सत्यापन करना समय, संसाधन और मानवबल की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण होता है।
- प्रशासनिक एवं मानव संसाधन की कमी – बूथ लेवल अधिकारी एवं अन्य निर्वाचन कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार पड़ने से पुनरीक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
- डेटा में त्रुटियाँ एवं दोहराव – नाम, पता, आयु आदि की गलत प्रविष्टि तथा एक ही व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण मतदाता सूची की शुद्धता को प्रभावित करता है।
- डिजिटल विभाजन – ऑनलाइन पंजीकरण एवं संशोधन की सुविधाओं के बावजूद इंटरनेट, स्मार्टफोन या डिजिटल साक्षरता का अभाव कुछ नागरिकों को इन सेवाओं से वंचित कर सकता है।
- जागरूकता का अभाव – अनेक नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने अथवा संशोधन की प्रक्रिया और निर्धारित समय–सीमा की पर्याप्त जानकारी नहीं होती।
- राजनीतिक एवं सामाजिक विवाद – मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर राजनीतिक दलों तथा नागरिकों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आवश्यक है।
- शहरी क्षेत्रों में सत्यापन की कठिनाई – महानगरों में किराएदारों, अस्थायी निवासियों और बार–बार स्थान बदलने वाले लोगों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन अपेक्षाकृत कठिन होता है।

निष्कर्ष : अतः मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की सबसे बड़ी चुनौती मतदाता सूची की शुद्धता और प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार के बीच संतुलन बनाए रखना है। पुनरीक्षण प्रक्रिया में तकनीकी साधनों के साथ मानवीय सत्यापन, पर्याप्त समय, प्रशिक्षित कर्मचारियों, पारदर्शी आपत्ति–निवारण व्यवस्था और नागरिक जागरूकता को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इससे मतदाता सूची अधिक विश्वसनीय तथा निर्वाचन प्रक्रिया अधिक समावेशी बन सकेगी।

संदर्भ :

1. भारत सरकार. (1950) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950. नई दिल्ली, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
2. भारत सरकार. (1951). जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951. नई दिल्ली, विधि एवं न्याय मंत्रालय।
3. भारत का संविधान. (1950). अनुच्छेद 324 एवं 326. नई दिल्ली, भारत सरकार।
4. भारत निर्वाचन आयोग. Manual on Electoral Rolls. नई दिल्ली : Election Commission of India.
5. भारत निर्वाचन आयोग. Handbook for Electoral Registration Officers. नई दिल्ली : Election Commission of India.
6. Election Commission of India. Electoral Roll FAQs and Guidelines. New Delhi: Election Commission of India.
7. Austin, G. (1966). The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation. Oxford: Clarendon Press.
8. Basu, D. D. (2019). Introduction to the Constitution of India. New Delhi: LexisNexis.
9. Jain, M. P. (2018). Indian Constitutional Law. New Delhi: LexisNexis.
10. Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner, (1978) 1 SCC 405.
11. Lily Thomas v. Union of India, (2013) 7 SCC 653.
12. Association for Democratic Reforms. Election and Electoral Reforms in India: Reports and Studies. New Delhi.